

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंज 79/17 तारीख रज् 6.11.17

उजवान — हेमसिंह बनाम महेन्द्र सिंह  
हिंघरिया (रक्षणपात्र)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री रामकृष्ण शर्मा एडवोकेट  
ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा  
212 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र  
का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर  
कर अप्रार्थी गण को अधिचे नोटिस से तलब कर  
दिनांक 10.11.17 को पेश हो।

5807-94  
6.11.17

  
जगदीश आर्य  
उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम

10.11.17 - प्रार्थी वकील उपाधित। अप्रार्थी न 8 की तफिल  
हो चुकी है। वाव सूट सूचना उपो। नहीं इसलिए शेरुकि कह  
एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लायी जाती है। अन्य की तफिल  
प्राप्त नहीं हुई है। वास्ते अन्तर्गत तफिल दिनांक 15.11.17  
को पेश हो। बर की ओर से कार्य स्थगित रखवा शहा दिनांक  
15.11.17 को पेश हो।

15.11.17

प्रार्थी वकील उप। गतनुसार दि 20.11.17 को  
पेश हो।

# आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

1-18 वकूलाय उप०। गानुसार कोले लागवी व जबब पेश करे  
दि 18-1-18 को पेश हो।

18-1-18 वकूलाय उप०। प्रविवादी नं 4.5 का वकालतनामा व द०  
09 R 7 एपि पेश किया। द० की नमलवादी वकील को  
दिलाई। कोले जबब द० दि 2-2-18 को पेश हो।

2-2-18 वकूलाय उप०। इर जबाब पेश करने व  
चाह कोले दिनांक 28-2-18 को पेश हो।

28-2-18 वकूलाय उप०। द० 09 R 7 का जबब पेश करने दि 22-3-18  
को पेश हो।

22-3-18 वकूलाय उप०। वारी वकील ने द० 09 R 7 को स्वीकार करने  
का कपत वरु सरप्रति स्वरूप हस्ताक्षर फिरोजिल द० 09  
R-7 प्रविवादी नं 4.5 स्वीकार की जाती है तथा इसके किस्  
एक पक्षीप का घबिही ठापास की जाती है मूल जबब पेश करने  
दि 13-4-18 को पेश हो।

13-4-18 वकूलाय उप०। अपाचिण का जबब अपाचिण पत्र पेश किया  
काल दिलवाई। कोले बहल दि 17-4-18 को पेश हो।


17-4-18 वकूलाय उप०। अपाचिण वकील ने दस्तावेज पेश किये।  
पक्षीण उभय पक्ष ने कलन ले ~~कलन ले~~ विधन  
किये। बहल सुन क (मंनन किया। पत्रावली  
का ठावलोकन किया। रिवाइ वादी के नाम है।

वकूलाय उप०  
कोले पेश हो।  
दि 13-4-18

# न्यायालय उप जिला कलक्टर

दिनांक फर्द अहकाम

मौदा की स्थिति अर्थात जो गहों वंग के ली स्थिति  
 बनाये रखी जावे। विस्तृत निर्णय पुचक से लिखा  
 जाय शामिल किया गया। पत्रावली के लिये शुभ  
 होकर गम्बू से कम होकर दावा पत्रावली के लिये  
 संलग्न रहे।

  
 जगदीश आर्य  
 उप जिला कलक्टर  
 झंडाभीम